

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम,
कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद,
कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर पंचायत।

पटना, दिनांक :- 28/5/19

विषय :- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) अंतर्गत ठोस कचरे के प्रसंस्करण (Processing) एवं निपटान (Disposal) कार्यों से संबंधित मार्गदर्शिका का प्रेषण।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय NGT, नई दिल्ली द्वारा O.A. No.-606/2018 में दिनांक-15.03.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य के सभी नगर निकायों में ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित सभी कार्यों के क्रियान्वयन हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है। इस संबंध में आपको विभिन्न विभागीय पत्रों द्वारा कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश दिये गए हैं। समय-समय पर VC द्वारा कार्यों के प्रगति की समीक्षा विभाग स्तर से एवं मुख्य सचिव के स्तर से की जा रही है।

उक्त के क्रम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत ठोस कचरे के प्रसंस्करण एवं निपटान कार्यों को कार्यान्वित करने हेतु मार्गदर्शिका तैयार कर भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि कृपया मार्गदर्शिका में दिए गए निर्देशों के अनुरूप कचरे के निस्तारण हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्य करना सुनिश्चित किया जाय।


अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,
28/5/2019

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार।



बिहार सरकार

ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण एवं निपटान
(Processing & Disposal)
हेतु नगर निकायों के लिए
मार्गदर्शिका

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शिका

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-2016 का क्रियान्वयन सभी नगर निकाय में करना है। माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), नई दिल्ली के O.A No.606/2018 का अनुश्रवण दिनांक-15.03.2019 को मुख्य सचिव, बिहार की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। माननीय NGT, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 को त्वरित क्रियान्वयन के लिए निदेश प्राप्त है। बिहार के सभी नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शिका प्रस्तुत की जा रही है।

नगर निकाय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण एवं निपटान (Processing & Disposal) हेतु निम्नलिखित कार्यों को सुचारु रूप से संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे :-

1. गीले कचड़े का प्रसंस्करण (Processing of Wet Waste)
 2. सूखे कचड़े का प्रसंस्करण (Processing of Dry Waste) Material Recovery Facility Centre (MRF)
 3. ठोस अपशिष्टों का निपटान सैनिटरी लैंडफिल के द्वारा (Disposal of Waste through Sanitary Landfill)
- प्रारंभिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा गीला कचरा एवं सूखा कचरा का निष्पादन हेतु प्रत्येक प्रसंस्करण इकाई 3000 वर्ग फीट में तत्काल लगभग 20 अदद Compost Pit, Shredding Platform, Seiving Machine cum Bagging Platform, Dry waste Platform का निर्माण कार्य हेतु मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है। सभी नगर निकाय इस मॉडल प्राक्कलन का इस्तेमाल कर अपने निकाय के अंतर्गत आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्धता के अनुरूप Decentralised Processing Site का निर्माण करते हुए ठोस अपशिष्ट का सुचारु रूप से प्रबंधन सुनिश्चित करें। इस कार्य को अविलंब विभागीय स्तर पर करा लेना है।
 - सभी नगर निकायों द्वारा अलग-अलग (जैविक एवं अजैविक अपशिष्ट) संग्रह किये गए अपशिष्ट को प्रसंस्करण स्थल पर लाना सुनिश्चित करना होगा।
 - कोई भी नगर निकाय संग्रह किए गए अपशिष्टों को यत्र-तत्र न फेंके। सभी नगर निकाय संगृहित ठोस अपशिष्ट को सीधे विकेंद्रीकृत/केंद्रीकृत स्थल पर लाना सुनिश्चित करें।
 - सभी नगर निकायों द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार के अपशिष्ट को यत्र-तत्र न जलायें।
 - प्रसंस्करण स्थल पर जैविक एवं अजैविक अपशिष्ट को अलग-अलग रखने का स्थल सुनिश्चित किया जाए। आवश्यकतानुसार अगर सूखा एवं गीला अपशिष्ट एक साथ हो तो पुनः इसे अलग-अलग करने की व्यवस्था की जाए। दोबारा अपशिष्टों को अलग-अलग करने के लिए आवश्यकतानुसार PCC Platform तथा Shed की व्यवस्था Model Estimate में की गई है।

- Rag Pickers को Waste Collection में शामिल करने हेतु इनकी बैठक निकाय स्तर पर आहूत करने की कार्यवाही की जाय तत्पश्चात निकाय अन्तर्गत सभी Rag Pickers चिन्हित कर सूची बनाया जाय।
- सभी चिन्हित कचरा बिनने वालों (Rag Picker) को नगर-निकाय द्वारा पंजीकृत किया जाएगा एवं नगर-निकाय द्वारा पहचान-पत्र दिया जाएगा।
- सभी नगर निकाय अपने क्षेत्रांतर्गत कार्यरत कबाड़ी वालों को चिन्हित कर उनके द्वारा Recyclable कचरे को निपष्पादन करेंगे।

1. गीले कचड़े का प्रसंस्करण (Processing of Wet Waste)

1.1 नगर निकाय अपने क्षेत्र में उत्पन्न अपशिष्ट को निम्नलिखित तरीके से प्रसंस्करण करना सुनिश्चित करेंगे।

क. केन्द्रीकृत पद्धति (Centralised Process) अथवा,

ख. विकेन्द्रीकृत पद्धति (Decentralised Process)

क. **केन्द्रीयकृत पद्धति (Centralised Process)** : ऐसे नगर निकाय जहाँ जमीन की उपलब्धता कम है, वे सभी पृथक्कीकृत (Segregated) जैविक एवं अजैविक अपशिष्ट को एक Centralised Processing Site पर एकत्रित कर, जैविक कचरे को प्रसंस्करण करना सुनिश्चित करेंगे।

ख. **विकेन्द्रीकृत पद्धति (Decentralised Process)** : ऐसे नगर निकाय जहाँ जमीन की उपलब्धता हो, कम्पोस्टिंग कार्य के लिए वार्डों को कलस्ट्रिंग कर (नगर निगम में 3-4 वार्डों के लिए, नगर परिषद में 5-6 वार्डों के लिए एवं नगर पंचायत में 9-10 वार्डों के लिए) विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण हेतु स्थल चिन्हित किया जाए। प्रसंस्करण हेतु चिन्हित स्थलों पर जैविक एवं अजैविक अपशिष्ट को अलग-अलग भंडारण कर गीले अपशिष्ट को कम्पोस्टिंग प्लेटफार्म/पीट बनाकर कम्पोस्टिंग कार्य कराया जाय। कम्पोस्ट पीट एवं प्लैटफॉर्म निर्माण हेतु मॉडल एस्टीमेट सभी नगर निकायों को उपलब्ध कराया जा चुका है।

(Pit Composting-Muzaffarpur Model) के माध्यम से सभी नगर निकाय गीले कचरे का प्रसंस्करण निम्नलिखित दिये गये चरणबद्ध तरीके से सुनिश्चित कर सकते हैं :-

- (i) Compost Pit के पहले परत में नारियल के छिलके को रखें।
- (ii) नारियल की परत के ऊपर गाय के गोबर की एक परत रखें।
- (iii) भूसी/घास/सूखे पत्ते को छोटे-छोटे टुकड़े में काटकर नारियल के परत के उपर क्षेत्र की परिधि बढ़ाने तथा जैविक Decomposition की गति बढ़ाने के लिए रखा जा सकता है। घास/सूखे पत्ते को छोटे-छोटे टुकड़े में काटने के लिए Electric Shredder का उपयोग किया जा सकता है।
- (iv) Compost Pit में लगभग 30 सेटीमीटर तक कटा हुआ हरा कचरा भरें।
- (v) इसके ऊपर EM Solution (Effective Micro-organisms Solution) को छिड़क कर मिलाया जायगा। EM Solution इन तत्वों यथा—Yeast, Lactobacillus and photosynthetic bacteria) का सम्मिश्रण है। यह Solution Organic Decomposition Process को त्वरित करने हेतु व्यवहार में लाया जा सकता है।

- (vi) समय-समय पर Shredded गीले कचरे को पहले से मौजूद गीले कचरे के ऊपर 30 cm तक फैलाया जायेगा एवं इसके ऊपर EM Solution का छिड़काव किया जायेगा। इस प्रक्रिया को Compost Pit के पूर्ण होने तक जारी रखा जायेगा।
 - (vii) 45 दिनों के बाद व्यवस्थित रूप से विघटित खाद को बाहर निकालकर उसे सुखाने एवं Manually छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए शेड में फैलाएं।
 - (viii) इसके उपरांत जैविक खाद को Electric Vibratory Siever द्वारा Sieving के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
 - (ix) प्राप्त जैविक खाद को 5 किग्रा. के Cotton/Jute थैले में एक Digital Weighing Machine की सहायता से वजन कर पैक किया जा सकता है।
 - (x) Electric Sewing Machine की सहायता से थैले की सिलाई सुनिश्चित करें।
 - (xi) पैक किये गये थैले का व्यापार चिन्ह (Trade mark) सुनिश्चित किया जाना चाहिए, यथा—"Muzaffarpur Jaivik Khad".
 - (xii) तैयार किये गये जैविक खाद की बिक्री के माध्यम से एकत्र किये गये राजस्व का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और स्टॉक एंट्री सिस्टम के साथ एक विपणन और बिक्री काउंटर खोलें।
 - (xiii) अंतिम रूप से बने हुए खाद को कृषि विभाग/नर्सरी/किसान आदि को बेचने का प्रावधान किया जाए।
- आवश्यकतानुसार एवं Suitability के आधार पर मुंगेर एवं सुपौल नगर निकायों द्वारा की जा रही प्रक्रिया को भी अपना सकते हैं।

1.2 विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण के एक स्थल पर आवश्यक कार्य हेतु निम्नलिखित मानवबल को उपयोग में लाया जा सकता है (इसके लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है) :-

(i)	प्रसंस्करण स्थल पर ऑटो टीपर से ठोस अपशिष्ट के Unloading एवं गीले कचरे को Compost Pit में डालने हेतु	:	2 Nos.
(ii)	Shredder Machine को चलाने हेतु	:	1 No.
(iii)	जैविक खाद का शेड में स्थानांतरण और खाद की पिटाई	:	2 Nos.
(iv)	Electric Siever Machine को चलाने हेतु	:	1 No.
(v)	जैविक खाद के Packaging हेतु	:	1 No.
(vi)	कंप्यूटर प्रविष्टि एवं बिक्री व्यक्ति	:	1 No.
(vii)	दिन और रात का पहरेदार	:	2 Nos.
कुल			: 10 Nos.

1.3 विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण के एक स्थल पर निम्नलिखित उपकरणों को आवश्यकतानुसार व्यवहार में लाया जा सकता है :-

(i)	Shredder Machine	:	1 No.
(ii)	Electrical Siever Machine	:	1 No.
(iii)	Digital Weighing Machine	:	1 No.
(iv)	Electrical Sewing Machine	:	1 No.
(v)	Bailing Press Machine (for RDF)	:	1 No.

2. सूखे कचड़े का प्रसंस्करण (Processing of Dry Waste) Material Recovery Facility Centre (MRF)

- 2.1 नगर निकायों द्वारा कम्पोस्टिंग साईट पर लाये गये सूखे कचड़े को Secondary Segregation हेतु सूखे कचरे के लिए निर्मित प्लैटफॉर्म पर रखा जाय एवं उनमें से सर्वप्रथम उपयोगी और रिसाइक्लेबल वस्तुओं को रैग पीकर्स अथवा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से सूखे कचड़े में से अलग कर दिया जाए, जिसे कबाड़ी वाले को बेचा जा सकता है। SHG Group की महिलाओं की भूमिका एवं मानदेय हेतु Annexure-B संलग्न की गई है।
- 2.2 प्रसंस्करण स्थल पर लाये गये सूखे कचरे को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से Secondary Segregation कर विभिन्न श्रेणी यथा—पेपर, कार्डबोर्ड, ग्लास, एल्युमिनियम कैन, PET Bottles, Multilayer Plastic, Plastic Sheet, Tetra Packs, Plastic Toys, Cloth, धातु इत्यादि को अलग-अलग संग्रहण कर रखा जाना सुनिश्चित करें।
- 2.3 Secondary Segregation के माध्यम से अलग-अलग किये गये सूखे कचरे में से Recyclable सूखे कचरे को कबाड़ी वाले को नगर निकाय द्वारा बेचा जा सकता है। इससे अर्जित धनराशि से सतत् संचालन के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का भी भुगतान किया जा सकता है।
- 2.4 बचे हुए सूखे ठोस अपशिष्ट को बेलिंग प्रेस के माध्यम से आर.डी.एफ. (Refuse Derived Fuel) बनाकर प्रसंस्करण हेतु सिमेंट प्लांट/पॉवर प्लांट में भेजा जा सकता है।
- 2.5 प्रसंस्करण के बाद निकला हुआ निष्क्रिय अपशिष्ट (Inert Waste/Rejects) को भूमिभरण हेतु भेजना सुनिश्चित किया जाए।

3. ठोस अपशिष्टों का निपटान (Disposal of Waste through Sanitary Landfill)

- 3.1 सभी नगर निकायों को निष्क्रिय अपशिष्ट को ठोस अपशिष्ट नियमावली, 2016 के आलोक में निपटान का प्रबंधन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 3.2 निष्क्रिय अपशिष्ट (Inert Waste/Rejects) को नगर निकाय द्वारा चिन्हित किए गए भूमि भरण स्थल पर निपटान करना है।
- 3.3 जिन नगर निकायों के पास भूमि भरण स्थल (Sanitary Landfill Site) उपलब्ध नहीं है, वे अपने क्षेत्र से उत्पन्न निष्क्रिय अपशिष्ट का निपटान हेतु आवश्यकतानुसार भूमि भरण स्थल को चिन्हित कर उपयोग में लायेंगे।
- 3.4 ऐसे नगर निकाय जिनके पास भूमि भरण स्थल (Sanitary Landfill Site) उपलब्ध नहीं है, वे Sanitary Landfill विकसित करने हेतु रैयती भूमि का अधिग्रहण/क्रय कर सकते हैं। रैयती भूमि का अधिग्रहण/क्रय निम्नवत मापदंड के अनुसार कर सकते हैं :-

क्र.सं.	निकाय का प्रकार	अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण (एकड़ में)	शहर से मान्य दूरी	अभियुक्ति
1.	नगर निगम	10 एकड़	10 किमी. (Population less)	भूमि का प्रकार :- • रैयती भूमि
2.	नगर परिषद	05 एकड़	05 किमी. (Population less)	
3.	नगर पंचायत	2.5 एकड़	03 से 05 किमी. (Population less)	

- 3.5 भूमि भरण स्थल (Sanitary Landfill) कम-से-कम 15-20 वर्षों तक चलने के लिए पर्याप्त रूप से देय होंगे तथा जलजमाव और दुरुपयोग को रोकने के लिए चरणबद्ध तरीके से "भूमि भरण सेल" विकसित किए जाएंगे।
- 3.6 भूमि भरण स्थल गंगा एवं उसकी शाखा नदी से 500 मीटर, अन्य नदी से 100 मीटर, तालाब से 200 मीटर, राजमार्गों, आवास स्थलों, सार्वजनिक उद्यानों और जल आपूर्ति कुओं से 200 मीटर तथा विमानपत्तनों या हवाई अड्डे से 20 किमी. की दूरी पर होंगे। तथापि, विशेष मामले में, भूमि भरण स्थल को नागरी विमानन प्राधिकरण/वायु सेना, जैसा भी मामला हो, से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के बाद विमानपत्तन/हवाईअड्डे से 10 और 20 किमी. की दूरी के अंदर स्थापित किया जा सकता है तटीय विनियम जोन, नमभूमि, महत्वपूर्ण आवासीय क्षेत्रों, संवेदनशील पारि-भंगुर क्षेत्रों और गत 100 वर्षों से यथा दर्ज बाढ़ के मैदानों के अंदर भूमि भरण स्थल के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 3.7 ऐसे नगर निकाय जिनके Landfill Site की क्षमता 5 टन प्रति दिन से अधिक हो, वे इसके लिए उपयोग में लायी जानी वाली भूमि अंतर्गत 'बफर जोन' (Buffer Zone) के निर्धारण हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद से संपर्क करेंगे तथा इसका निर्धारण सुनिश्चित करें।
- 3.8 **Legacy Waste/Old Dump का प्रबंधन :-**
- सभी नगर निकाय पूर्व में फेंके गये ठोस अपशिष्ट के स्थलों को चयनित कर उसका निपटान एवं भूमि का पुनर्ग्रहण (Reclamation of Land) का कार्य सुनिश्चित करेंगे।
 - Legacy Waste/Old Dump का निपटान एवं अवश्यकतानुसार भूमि का पुनर्ग्रहण ठोस अपशिष्ट निपयमावली, 2016 (Schedule-I, Clause-J) के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित करें।

ANNEXURE-B

नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किये जाने वाले कार्य की विवरणी :-

क्र. सं.	कार्य की विवरणी	स्वयं सहायता समूह (SHG) महिलाओं की सहभागिता	SHG में महिलाओं की संख्या
1.	MRF (Material Recovery Facility)	<ol style="list-style-type: none">1. प्रसंस्करण स्थल (MRF Platform) पर लाये गये सूखे कचरे को NULM के तहत गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से Secondary Segregation कर विभिन्न श्रेणी यथा-पेपर, कार्डबोर्ड, ग्लास, एल्युमिनियम कैन, PET Bottles, Multilayer Plastic, Plastic Sheet, Tetra Packs, Plastic Toys, Cloth, धातु इत्यादि को अलग-अलग संग्रहण कर रखा जा सकता है।2. अलग-अलग संग्रहित हुए सूखा कचरा में से Recycling एवं बिकने योग्य कचरा को नगर निकाय कबाड़ी वालों को बेचना सुनिश्चित करेंगे।3. ध्यान रखा जाये कि Secondary Segregation में नियोजित सभी स्वयं सहायता महिलाओं को सुरक्षा से संबंधित सामग्री नगर निकाय द्वारा ही उपलब्ध करायी जायेगी, जैसे-Gloves, जूते, Safety Mask इत्यादि।	नगर निकाय द्वारा प्रत्येक MRF Center पर Secondary Segregation हेतु 04 SHG महिलाओं को लगाया जा सकता है।

Capacity Building


उपरोक्त कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु SHG की महिलाओं का Training करवाया जाना आवश्यक है। संबंधित नगर निकायों में Training Programme का आयोजन कर SHG की महिलाओं को उपरोक्त कार्य हेतु प्रशिक्षित किया जायगा। नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्यों हेतु चयनित स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को पत्र निर्गत किया जायगा, जिसमें उनका दायित्व एवं उन्हें दी जाने वाली पारिश्रमिक का स्पष्ट उल्लेख होगा एवं इसकी निगरानी समय-समय पर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी स्वयं भी करेंगे।

पारिश्रमिक

उपरोक्त कार्य करने हेतु SHG की महिलाओं को पारिश्रमिक के रूप में प्रत्येक महिला 200 रु. प्रतिदिन की दर से दी जाये एवं इनका उपस्थिति संधारण नगर निकाय द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। इस राशि का भुगतान स्वच्छता अनुदान/14वीं वित्त आयोग/पंचम राज्य वित्त आयोग से दी जा सकती है।

दोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रक्रिया प्रवाह-पत्र

(Solid Waste Management Process Flow-sheet)



नगर निकाय द्वारा प्रत्येक घरों में 02 रंगीन डस्टबीन (हरा एवं नीला) का वितरण

A. सूखा कचरा

सूखे कचरे को MRF Platform पर उतारना

सूखे कचरे को MRF Platform पर NUULM के तहत गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से Secondary Segregation (Paper, Cardboard, Glass, Plastic sheet, Multilayer plastic इत्यादि) कर अलग-अलग संरक्षित करना।

नगर निकाय द्वारा अलग किये गये Recyclables कचरे को कबाड़ी वाले को बेचना

शेष बचे हुए कचरे को Dry Waste Store Room में अलग-अलग संरक्षित करना अथवा Baling Press इस्तेमाल कर RDF बनाना।

निष्क्रिय अपशिष्ट (Inert Waste/Rejects) को भूमिभरण हेतु भेजना सुनिश्चित किया जाए।

नगर निकाय एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना।

प्रत्येक घरों द्वारा स्रोत (Source) पर सूखे और गीले कचरे का अलगभाव।

B. गीला कचरा

गीले कचरे को इसके लिए निर्धारित Platform पर उतारना।

सूखे एवं गीले कचरे का Divided Compartmental Vehicle के माध्यम से घर-घर से संग्रहण (Collection)

सूखे एवं गीले कचरे का प्रसंस्करण स्थल पर परिवहन (Transportation)

गीले कचरे का निष्पारन निम्नवत तरीके से करना :-

- Compost Pit के पहले परत में नारियल के छिलके को रखें।
- नारियल की परत के ऊपर गाय के गोबर की एक परत रखें।
- भूसी/घास/सूखे पत्ते को छोटे-छोटे टुकड़े में काटकर नारियल के परत के ऊपर क्षेत्र की परिधि बढ़ाने तथा जैविक Decomposition की गति बढ़ाने के लिए रखा जा सकता है। घास/सूखे पत्ते को छोटे-छोटे टुकड़े में काटने के लिए Electric Shredder का उपयोग किया जा सकता है।
- Compost Pit में लगभग 30 सेटीमीटर तक कटा हुआ हरा कचरा भरें।
- इसके ऊपर EM Solution (Effective Micro-organisms Solution) को छिड़क कर मिलाया जायेगा। EM Solution इन तत्वों यथा-Yeast, Lactobacillus and photosynthetic bacteria) का सम्मिश्रण है। यह Solution Organic Decomposition Process को त्वरित करने हेतु व्यवहार में लाया जा सकता है।
- समय-समय पर Shredded गीले कचरे को पहले से मौजूद गीले कचरे के ऊपर 30 cm तक फैलाया जायेगा एवं इसके ऊपर EM Solution का छिड़काव किया जायेगा। इस प्रक्रिया को Compost Pit के पूर्ण होने तक जारी रखा जायेगा।
- 45 दिनों के बाद व्यवस्थित रूप से विघटित खाद को बाहर निकालकर उसे सुखाने एवं Manually छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए शोध में फेलाएं।
- इसके उपरान्त जैविक खाद को Electric Vibratory Siever द्वारा Sieving के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त जैविक खाद को 5 किग्रा. के Cotton/Jute थैले में एक Digital Weighing Machine की सहायता से वजन कर धैक किया जा सकता है।
- Electric Sewing Machine की सहायता से थैले की सिलाई सुनिश्चित करें।
- धैक किये गये थैले का व्यापार चिन्ह (Trade mark) सुनिश्चित किया जाना चाहिए, यथा"Musazhatipur Javik Khadi".
- तैयार किये गये जैविक खाद की बिक्री के माध्यम से एकत्र किये गये राजस्व का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और स्टॉक एंट्री सिस्टम के साथ एक विपणन और बिक्री काउंटर खोलें।
- अंतिम रूप से बने हुए खाद को कृषि विभाग/नर्सरी/किसान आदि को बेचने का प्रावधान किया जाए।

गीले कचरे के प्रसंस्करण के उपरान्त बचे हुए निष्क्रिय (Inert/Rejects) को Sanitary Landfill Facility में भेजना।

सूखे एवं गीले कचरे के प्रसंस्करण उपरान्त बचे हुए निष्क्रिय (Inert/Rejects) जो कि 10-15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे Inerts/Rejects को Sanitary Landfill Facility में भेजना।

Sanitary Landfill Facility (नगर निकाय द्वारा Sanitary Landfill Facility Site का Development SWM Rules, 2016 के अनुरूप सुनिश्चित करना।)